न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 79 / 2023

प्रार्थी :– फुलचंद पुत्र सोहनराज जाति ओसवाल निवासी बालोतरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पदमाराम पुत्र देरामाराम
2. सांवलराम पुत्र देरामाराम, जाति कलबी, नि0 आसोतरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
3. छगनकंवर पत्नी बृजपालसिंह
4. देवेन्द्रसिंह पुत्र शोभसिंह
5. नरेन्द्र कंवर पुत्री हिम्मतसिंह
6. प्रेमकंवर पुत्री हिम्मतसिंह
7. निर्मलसिंह पुत्र शोभसिंह
8. प्रेमसिंह पुत्र शोभसिंह
9. बदनकंवर पत्नी हरदयालसिंह जाति राजपूत निवासी, जसोल, तह0 पचपदरा, जिल बाडमेर।
10. भवानीसिंह पुत्र इन्द्रजीतसिंह
    मेहता कंवर पत्नी इन्द्रजीतसिंह
11. मेहता कंवर पत्नी इन्द्रजीतसिंह
12. सुरजपालसिंह पुत्र बृजपालसिंह सभी जातियान जाति राजपूत नि0 जसोल, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

13. प्रवीणसिंह पुत्र प्रकाशसिंह

14. भगवतसिंह पुत्र देवीसिंह

15. मरूधर कंवर पत्नी प्रकाशसिंह

16. महावीरसिंह पुत्र चेनसिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सुमर कंवर पत्न चेनसिंह सभी जातियान राजपूत नि. जसोल. तह0 पचपदरा,

17. सुमन कंवर पत्नी चेनसिंह

18. सोहनकंवर पत्नी भवानीसिंह

19. हरीसिंह पुत्र देवीसिंह

20. हिम्मतसिंह पुत्र भवानीसिंह सभी जातियान राजपूत, निवासी जसोल, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

21. नगर परिषद बालोतरा जरिये आयुक्त

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

1. श्री झुंजाराम पटेल , प्रार्थी अधिवक्ता

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 22 एक पक्षीय

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

'आदेश' दिनांक :– 10.7.2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:14 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1007/4 रकबा 0.8417 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थीगण बावजूद अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहंसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1007/4 रकबा 0.8417 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी [illegible] जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल, तहसील पचपदरा [illegible] खसरा संख्या 1007/4 रकबा 0.8417 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हमने वकील प्रार्थी वकील की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहसील पचपदरा मे 1007/4 रकबा 0.8417 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1007/4 रकबा 0.8417 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:14 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 10.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा